न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : (2679/16) 84/19

-:: प्रार्थी ::-

1. सुरेन्द्र पंचारिया पुत्र स्वर्गीय हीरालाल ब्राहाम्ण, निवासी-सांगावास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज.।

बनाम

-:: अप्रार्थीगण ::-

1. जगदीश पुत्र स्व. रामचन्द्र
2. कैलाश पुत्र स्व. रामचन्द्र
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. रामचन्द्र
4. भंवरीदेवी पत्नी स्व. रामचन्द्र
   जातियान- ब्राहाम्ण निवासीगण- गांव सांगावास, तहसील-जैतारण जिला-पाली।
5. सज्जन पंचारिया पत्नी स्व. बद्रीनारायण
6. कविता पुत्री बद्रीनारायण
7. पुजा पुत्री बद्रीनारायण
   जातियान-ब्राहम्ण निवासीगण- इन्द्रा कॉलोनी विजय नगर ब्यावर जिला-अजमेर राज.।
8. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जी, जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 06/10/2016**

उपस्थितः- 1. श्री राजूनाथ चौलावत, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चोधरी एवं संगीता व्यास, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 24/12/2019**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद सांगावास पटवार हल्का सांगावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-निमाज तहसील-जैतारण में सायल एवं गैरसायल की पैतृक पुश्तैनी सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 102 रकबा 13-15 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नंबर 153 रकबा 32-07 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 33 रकबा 11-06 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नंबर 123/248 रकबा 06-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल खसरा 04 कुल रकबा 64-04 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी सायल एवं गैरसायलान की राजस्व रेकर्ड में सामलाती आराजी है। जिसका कानूनन बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजी का सायल एवं गैरसायलान अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे हैं। एवं इसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा मौके पर आपसी सहमति

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

से उक्त आराजी का बंटवाड़ा कर दिया था। परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजी आज दिन तक भी शामलाती चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजी में सायल का अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा-काश्त है परन्तु गैरसायल सायल को मौके ये बेदखल कर सायल की बेसकीमती आराजी को हड़प करना चाहते है तथा अजनबी केता को बेचान करने पर आमादा है आये दिन सायल के हक हिस्से की भूमि पर व सायल के कब्जे-काश्त में दखलन्दाजी कर रहे है तथा सायल की आराजी में कब्जा करने पर उतारू है। तथा गैरसायलान सायल की आराजी के चारों तरफ की नई मेडबंदी को बिखेर देते है एवं सायल की आराजी में पशुओं को खुला छोड़कर फसलों को नष्ट कर रहे है एवं आये दिन दखलंदाजी व हस्तक्षेप करते रहते है। तथा गेरसायलान सायल को एलानिया धमकी देते है कि उसको मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अकेले ही कब्जा कर लेंगे एवं उक्त आराजी को आगे अजनबी केता को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर देंगे। दिनांक 25.09.2016 को गैरसायल ने सायल को उसके हक हिस्से की आराजी पर से यानि कि मौके से बेदखल कर उक्त भूमि को बिना बंटवाड़ा कराये ही अजनबी केता को बेचान करने की एलानिया धमकी दी तब सायल ने गैरसायल को कहा कि आपसी रजामन्दी से उक्त आराजी का कानूनन बंटवाड़ा कर ले, जिस तरह से पूर्व में अपना बंटवाड़ा हो रखा है उसी अनुसार तहसील कार्यालय में चलकर ही आपसी रजामंदी से मौके पर बंटवाड़ा के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा कर लेवे परन्तु गैरसायलान इन्कार हो गये एवं सायल को कहा कि वो धनबल के आधार पर उसे बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना हक व अधिकार जमा लेंगे। यदि गैरसायलान अपने गैरकानूनी मंसुबों में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिए महरूम होना पड़ेगा एवं मौके पर लड़ाई झगड़े होंगे, विवाद बढेगा। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स बढेगी। इसलिए सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 08 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ।

अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 व 02 को प्रार्थी स्वयं साबित करें एवं प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित तथ्यों के आधार पर लगाये गये आरोप पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद है उक्त भूमि आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है। फिर भी यदि किसी प्रकार की डिकी जारी की जाती है तो जवाब देहन्दागण को किसी प्रकार से कोई एतराज नहीं है उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद है। जवाब देहन्दागण पर इस पद में झूठे आरोप लगाये गये है एवं इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के कब्जे काश्त व हक अधिकार को लेकर के जवाब देहन्दागण ने किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं किया है तथा भूमि अजनबी केता को बेच देने के आरोप भी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

झूठे लगाये गये है। सायल ने अपूर्णीय क्षति होने के कथन भी झूठे लिखे है। बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा दर्ज करवाने में जवाब देहन्दागण को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है। जवाब देहन्दागण के विरूद्ध सायल स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबूनियाद है प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में नहीं होकर के गैरसायलान के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में कोई स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को नहीं होकर के गैरसायलान को होगी। इसलिये भी सायल का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

अप्रार्थीगण संख्या 05 से 07 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 व 02 प्रार्थी स्वयं साबित करें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन में लगाये गये आरोप पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद है उक्त भूमि आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है। फिर भी यदि किसी प्रकार की डिक्री जारी की जाती है तो जवाब देहन्दागण को किसी प्रकार से कोई ऐतराज नहीं है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद है। जवाब देहन्दागण पर इस पद में झूठे आरोप लगाये गये है एवं इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के कब्जे काश्त व हक अधिकार को लेकर के जवाब देहन्दागण ने किसी प्रकार से कोई आपत्ति ऐतराज नहीं किया है। तथा भूमि अजनबी केता को बेच देने के आरोप भी झूठे लगाये गये है। सायलान ने अपूर्णीय क्षति होने के कथन भी झूठे लिखे है। बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा दर्ज करवाने में जवाब देहन्दागण को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है। जवाब देहन्दागण के विरूद्ध सायलान अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबूनियाद है प्रथमदृष्टिया मामला व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष नहीं होकर के गैरसायलान के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में कोई स्थगन जारी किया जाता है। तो अपूर्णीय क्षति सायल को नहीं होकर के गैरसायलान को होगी। इसलिए भी सायल का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई, और उस पर मनन किया। वाद-पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा ग्राम सांगावास, तहसील-जैतारण की खसरा नंबर 102 रकबा 13-15 बीघा, खसरा नंबर 153 रकबा 32-07 बीघा, खसरा नंबर 33 रकबा 11-06 बीघा एवं खसरा संख्या 123/248 रकबा 06-16 बीघा संयुक्त शामलाती आराजी के विभाजन का दावा प्रस्तुत किया है। वादी/प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी में दर्ज सभी सहखातेदारान को प्रकरण में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है। खातेदार बद्रीनारायण जो कि फौत हो चुका है, के वारिसान को भी पक्षकार संयोजित नहीं किया है, जिन्हें न्यायालय आदेश दिनांक 25.11.2019 द्वारा प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया है। इस प्रकार यह तथ्य भी उभर कर आया है कि प्रार्थी/वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

उपस्थित नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र के पैरा संख्या 03 में मांग की है कि प्रार्थी परेशानियों से बचने के लिए कानूनन बाँ मिण्ट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करवाना चाहता है इसी प्रकार पैरा संख्या-04 में अंकित किया है कि प्रार्थी अपने हक-हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा-काश्त है, परन्तु गैरसायल सायल को मौके से बेदखल कर सायल की बेशकीमती आराजी को हड़पना चाहते है, तथा अजनबी केता को बेचान करनें पर आमादा है, आये-दिन मेड़बंदी को उखेड़ देते हैं तथा जबरदस्ती पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, इससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी।

अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में प्रकट किया कि उक्त संयुक्त आराजी के हक हिस्से अनुसार अगर कानूनन बंटवाड़ा होता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं तथा उक्त भूमि को किसी अजनबी को बैचान करनें या प्रार्थी के कब्जे-काश्त में दखल का कथन गलत है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र खारिज फरमावें।

अप्रार्थीगण संख्या 05 से 07 अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में प्रकट किया कि उक्त संयुक्त शामलाती भूमि का कानूनन बंटवाड़ा किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं हैं, किसी अजनबी केता को बैचान करनें, प्रार्थी के कब्जे-काश्त में दखल देनें के कथन पूर्णतया झूठे हैं, सायल गैरसायल के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

धारा-212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विधिक प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां या वादों के विचारण के दौरान इस धारा के अधीन अस्थाई व्यादेश (निषेधाज्ञा) का अनुतोष दिया जा सकता है, जब प्रार्थी शपथ-पत्र द्वारा या अन्य साक्ष्य से यह साबित कर दें कि वादग्रस्त आराजी को किसी पक्षकार/पक्षकारों द्वारा दुर्व्ययन करनें, नुकसान पहुंचाने का अंतरित किए जानें का खतरा है या कोई पक्षकार ऐसा करने का आशय रखता है या धमकी देता है।अस्थाई व्यादेश (निषेधाज्ञा) के प्रार्थना पत्र पर निर्णयन से पूर्व इसके तीन महत्वपूर्ण आयामों का विवेचन किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैः-

(1) प्रथमदृष्ट्या मामला :- प्रथमदृष्ट्या मामला का तात्पर्य है कि वाद-पत्र एवं प्रस्तुत दस्तोवजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करनें का पर्याप्त कारण हो कि वादी को अनुतोष प्राप्त करनें का पर्याप्त आधार प्राप्त है, तथा प्रार्थी को प्रथम-दृष्ट्या आराजी के उपभोग अधिकार प्राप्त है, तथा प्रार्थी को प्रथम-दृष्ट्या आराजी के उपभोग अधिकार प्राप्त है, परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, जो कि साक्ष्य का विषय है।

वाद-पत्र एवं प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी/प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदारान के हक-हिस्सा अनुरूप कानूनन बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाना चाहता है जिसपर अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण भी सहमत है, ऐसी दशा में विवाद का विषय ही नहीं रह जाता है, रही बात किसी खातेदार द्वारा किसी अजनबी को बैचचान कर देने की तो कोई किसी भी खातेदार को अपने हक-हिस्से तक बेचान करनें का अधिकार होता है तथा कोई भी अपने हक-हिस्से से अधिक बेचान नहीं कर सकता है। वादी/प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह विश्वास करनें का सहज कारण हो कि उसके हक-हिस्से की

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

आराजी के दुर्व्ययन की प्रबल आंशका हैं चुंकि संयुक्त सहखातेदारान की आराजी के प्रत्येक खातेदार को अपने हक-हिस्से तक कानूनन बंटवाड़ा करवाने का अधिकार होता है, ऐसी दशा में विभाजन के दावे में निर्विवाद रूप से सभी सहखातेदारान के पक्ष में प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, साथ ही अविभाजित कृषि भूमि के कब्जे के संबंध में यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि उसके प्रत्येक भाग पर सभी सहखातेदार का एक समान रूप से कब्जा माना जाता है। अतः ऐसी दशा में किसी एक खातेदार के पक्ष में और अन्य के विरूद्ध प्रथम-दृष्ट्या मामला या कब्जा मानना विधि विरूद्ध होता, लिहाजा हस्तगत प्रकरण में वादी/प्रार्थी के पक्ष में प्रथमदृष्ट्या साबित नहीं होता है।

(2) सुविधा का संतुलन :- सुविधा का संतुलन सीधे तौर पर वर्तमान में कब्जा एवं उपभोग की स्थिति से है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यदि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया गया तो वादीगण/प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी की नहीं। हस्तगत प्रकरण में पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि सभी पक्षकार अपने हक-हिस्से अनुसार शामलाती आराजी का उपभोग कर रहे है, साथ ही अविभाजित आराजी के संबंध में यह तथ्य ही गौण है कि किसका कितना, कहां और किस रूप में कब्जा है क्योंकि शामलाती आराजी की दशा में सभी खातेदारान का आराजी के प्रत्येक भाग पर एक समान रूप से कब्जा माना जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सुविधा का संतुलन वादी/प्रार्थी के पक्ष में ही साबित नहीं होता है।

(3) अपूरणीय क्षति :- प्रार्थी/वादी को यह साबित करना होता है कि यदि वादग्रस्त आराजी के संबंध में उसके पक्ष में अस्थाई व्यादेश जारी नहीं किया गया तो उसे ही अपूरणीय क्षति होगी, ऐसी क्षति जो न्याय का उद्देश्य ही ध्वस्त कर देगी। हस्तगत प्रकरण में पूर्ण-विवेचन से यह स्पष्ट है कि वाद अविभाजित संयुक्त खातेदारी भूमि के कानूनन विभाजन का है और वादी एवं प्रतिवादीगण दोनों ही इस बात पर सहमत है कि उनके हक-हिस्से तक कानूनन बाई मिण्ट्स एवं बाउण्डस बंटवाड़ा कर दिया जाए। ऐसी एशा में वादी/प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है, कि हस्तगत प्रकरण में उसके पक्ष में अस्थाई व्यादेश क्यों जारी किया जाए। संयुक्त खातेदारी की आराजी की दशा में एक सहखातेदार के पक्ष में और अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध अस्थाई व्यादेश जारी करना एक खातेदार को उसके अधिकारों से वंचित करने जैसा होगा, जो कि विधि का उद्देश्य नहीं है। वादी/प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि प्रकरण में उसके हितों को अपूरणीय क्षति होनें की आशंका कैसे है, अतः यह बिन्दु भी वादी/प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

निष्कर्षतः उपर्युक्त विवेचन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अस्थाई व्यादेश के लिए आवश्यक तीनों बिंदू हस्तगत प्रकरण में वादी/प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं और प्रार्थी अपना पक्ष साबित करनें में पूर्णतया विफल रहा है, अतः हम प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अस्वीकार करना विधिसंगत और उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र, प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा-212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, भली-भांति साबित न होनें एवं सारहीन होनें से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में दिनांक 17.10.2016

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

की जारी अस्थाई अंतरिम निषेधाज्ञा समाप्त की जाती है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 24/12/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.12.31 16:33:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: